

अनुदान संख्या 99 – जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	4768,01,00	3422,16,73	-1345,84,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1345,84,26
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2492,98,00		
		2492,99,00	2072,46,78	-420,52,22
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			416,20,79
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	150,01,00	..	-150,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			150,01,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	471700.00		
		341390.11	341390.10	-0.01
पु.	R.	-130309.89		

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
---------------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
सू.	O. 5101.00
पु.	R. -4274.37

826.63	826.63	..
--------	--------	----

(I) ₹ 1.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" -

(A) "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता - अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : विशेष केन्द्रीय सहायता" - ₹ 50251.00 लाख की बचत (₹ 121001.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(a) "Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance" - saving of ₹ 50251.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹121001.00 lakhs);

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप - योजना" -

(b) "Tribal Area Sub-Plan -

(i) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय संस्थानों को सहायता" - ₹ 5999.00 लाख की बचत (₹ 12399.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में);

(i) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions" - saving of ₹ 5999.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹12399.00 lakhs);

(ii) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति शिक्षा" -

(ii) "Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes:

₹ 14000.00 लाख की बचत (₹ 191950.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में);

Tribal Education - saving of ₹ 14000.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹191950.00 lakhs);

(iii) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : वन बंधु कल्याण योजना”- ₹12018.90 लाख की बचत (₹26499.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में); और

(iii) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - saving of ₹12018.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹26499.00 lakhs); and

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजाति क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जनजाति कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान” – ₹48041.00 लाख की बचत (₹119851.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(B) “Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub -Plan - Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution”- saving of ₹48041.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹119851.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals from the State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजाति क्षेत्र उप-योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: जनजाति शिक्षा” के अंतर्गत ₹4273.37 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) Under Major Head “3602” - “Centrally sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education” - saving of ₹4273.37 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹5100.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the UTs administration owing to COVID-19 pandemic.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय – समाज सेवा	Secretariat - Social Service			
मू.	O.	3521.00		
			2446.54	2436.78
पु.	R.	-1074.46		-9.76
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	170677.00		
पू.	S.	1.00	162953.30	162531.63
पु.	R.	-7724.70		-421.67
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	75100.00		
		
पु.	R.	-75100.00		..
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
पु.	R.	42278.37	42278.37	42278.37
				..

(I) ₹75200.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹75100.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹75200.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹75100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) “जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: विशेष केन्द्रीय सहायता” – ₹13500.00 लाख;

(खा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतु के अंतर्गत अनुदान” – ₹15000.00 लाख;

(ख) “जनजातीय संस्थान” – ₹16100.00 लाख;

(ग) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम : वन बंधु कल्याण योजना” – ₹2500.00 लाख; और

(घ) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम : जनजाति शिक्षा” – ₹28000.00 लाख ।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – जनजातीय कार्य मंत्रालय” – ₹1084.22 लाख की बचत (₹3521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(III) मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग” – ₹1143.15 लाख की बचत (₹2003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19

(A) “Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan-Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance” - ₹13500.00 lakhs;

(B) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution” - ₹15000.00 lakhs;

(b) “Tribal Institutions” - ₹16100.00 lakhs;

(c) “Umbrella Scheme for Development of STs: Van Bandhu Kalyan Yojana” - ₹2500.00 lakhs; and

(d) “Umbrella Scheme for Development of STs: Tribal Education” - ₹28000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Tribal Affairs” - saving of ₹1084.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3521.00 lakhs); and

(III) Under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes” - saving of ₹1143.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2003.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due

महामारी की वजह से निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “जनजाति संस्थानों को सहायता” – ₹3255.91 लाख की बचत (₹138722.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम: वन बंधु कल्याण योजना” – ₹5397.29 लाख की बचत (₹14053.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

3.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2276.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष “2225” – “अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – जनजाति क्षेत्र उप-योजना – केंद्रीय छात्रवृत्ति” के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2275.00 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : विशेष केन्द्रीय सहायता” – ₹8786.82 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

to non-utilisation of funds owing to COVID-19 pandemic.

(B) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Support to Tribal Institutions” - saving of ₹3255.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138722.00 lakhs); and

(b) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Van Bandhu Kalyan Yojana” - saving of ₹5397.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14053.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

3.(1) The above savings were partly (₹2276.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “2225” - “Welfare of Scheduled Tribes-Tribal Area Sub-Plan-Central Scholarships”. Actual excess, however, was ₹2275.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - under the following heads:-

(A) “Centrally Sponsored Schemes”-

(a) “Special Central Assistance for Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Special Central Assistance”- excess of ₹8786.82 lakhs (against nil provision);

(b) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति संस्थानों को सहायता” – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजातीय शिक्षा” – ₹24500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

- (i) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions” - excess of ₹600.00 lakhs (against nil provision);
- (ii) “Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Tribal Education” - excess of ₹24500.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान”- ₹8159.55 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) “Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution” - excess of ₹8159.55 lakhs (against nil provision).

अधिक व्यय उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads were due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4225”	Major Head “4225”			
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	15001.00		
पु.	R.	-15001.00		
	

(I) ₹15001.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से ₹15000.00 लाख मुख्य शीर्ष “4225” – “सामान्य-जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम : जनजाति संस्थानों को सहायता” – एनएसटीएफडीसी के अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹15001.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹15000.00 lakhs alone accounted for under Major Head “4225” - “General - Tribal Area Sub-Plan - Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes: Support to Tribal Institutions” - due to non-approval of competent authority for increasing authorized share capital of NSTFDC.
